भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †5091
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

अपतटीय खनन के लिए लाइसेंस

†5091. प्रो. सौगत राय:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के समुद्रतटीय क्षेत्रों में अपतटीय खनन के लिए उत्पादन पट्टे और समग्र लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है;
(ख) यदि हां, तो देश भर में अपतटीय खनन के लिए प्रस्तावित समुद्रतटीय खनिज ब्लॉकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों और देश के लाखों मछुआरों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों के मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के अनुसार संयुक्त अनुज्ञप्ति अर्थात् गवेषण अनुज्ञप्ति-सह-उत्पादन पट्टा देने के लिए 28.11.2024 को 13 अपतटीय ब्लॉकों की नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू की है। इन ब्लॉकों में केरल तट से परे निर्माण रेत के तीन ब्लॉक, गुजरात तट से परे लाइम मड के 3 ब्लॉक और ग्रेट निकोबार द्वीप से परे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और क्रस्ट के 7 ब्लॉक शामिल हैं।

(ग) से (ङ): अपतटीय क्षेत्र प्रचालन अधिकार नियम, 2024 के नियम 5(2) के अनुसार, प्रचालन अधिकार देने के लिए किसी भी अपतटीय क्षेत्र को अधिसूचित करने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) तथा मत्स्य विभाग सहित हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ पूर्व परामर्श अनिवार्य है।

वर्तमान मामले में, खान मंत्रालय ने नीलामी के लिए ब्लॉकों की अधिसूचना से पहले एमओईएफ और सीसी, मत्स्य विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श कर लिया है तथा नीलामी के लिए अधिसूचना से पहले सभी मंत्रालयों/विभागों की अनापत्ति प्राप्त की गई है।

समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए, एमओईएफ और सीसी ने तटीय राज्यों और द्वीपों में 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है तथा 106 तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की गई है और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों (आईसीएमबीए) के रूप में प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों को छोड़कर अपतटीय ब्लॉक बनाए गए हैं।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, प्रचालन अधिकार के निष्पादन से पहले, बोलीदाताओं को उत्पादन कार्य शुरू करने के लिए लागू कानूनों के तहत यथा आवश्यक सभी सहमतियां, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति आदि प्राप्त करना आवश्यक है। अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, उत्पादन योजना के सिवाय कोई उत्पादन कार्य नहीं किया जाएगा। उत्पादन योजना में *अन्य बातों के साथ-साथ* आधारभूत जानकारी, प्रभाव आकलन और शमन उपायों को दर्शाने वाली पर्यावरण प्रबंधन योजना शामिल है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 16क में एक गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय के रूप में अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास की स्थापना करने का प्रावधान है। तदनुसार, दिनांक 09.08.2024 के का.आ. 3246 (अ) द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास की स्थापना की गई है। तटीय राज्यों को न्यास के शासी निकाय और कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया है।

न्यास को प्राप्त होने वाली निधियों का उपयोग *अन्य बातों के साथ-साथ* अपतटीय क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान, प्रशासन, अध्ययन और संबंधित व्यय तथा किए गए प्रचालनों के कारण अपतटीय क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, अपतटीय क्षेत्र में किसी भी आपदा के घटित होने पर राहत प्रदान करने तथा किए गए गवेषण या उत्पादन प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए किया जाएगा।

*****